

परिशिष्ट



## परिशिष्ट

### परिशिष्ट-1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8; पृष्ठ 4)

चयनित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के 31 मार्च 2016 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों/ परिच्छेदों का वर्ष-वार ब्यौरा

(₹ करोड़ में)

अवधि	भू-राजस्व विभाग			शहरी विकास विभाग			कुल		
	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि	निरीक्षण प्रतिवेदन	परिच्छेद	राशि
मार्च 2006 तक	90	270	192.32	19	93	9.46	109	363	201.78
2006-07	9	56	3.61	16	94	27.07	25	150	30.68
2007-08	9	55	26.76	14	70	7.55	23	125	34.31
2008-09	7	32	19.96	14	101	16.78	21	133	36.74
2009-10	11	83	74.02	16	107	44.16	27	190	118.18
2010-11	12	101	136.78	18	116	25.55	30	217	162.33
2011-12	9	93	105.59	10	113	153.05	19	206	258.64
2012-13	12	137	142.73	14	118	59.85	26	255	202.58
2013-14	7	84	148.72	18	187	42.55	25	271	191.27
2014-15	13	99	378.52	14	136	47.92	27	235	426.44
2015-16	3	28	29.84	16	176	416.15	19	204	445.99
<b>योग</b>	<b>182</b>	<b>1,038</b>	<b>1,258.85</b>	<b>169</b>	<b>1,311</b>	<b>850.09</b>	<b>351</b>	<b>2,349</b>	<b>2,108.94</b>

परिशिष्ट-1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.8; पृष्ठ 4)

31 मार्च 2016 तक बकाया निरीक्षण प्रतिवेदनों एवं परिच्छेदों में टिप्पणित अनियमितताएं दर्शाती विवरणी

( ₹ करोड़ में )

क्रमांक	अनियमितताओं का प्रकार	भू-राजस्व विभाग		शहरी विकास विभाग		कुल	
		परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि	परिच्छेद	राशि
1.	जरूरत से पूर्व निधियों का आहरण/ निधियों का अवरोधन	150	143.42	116	86.85	266	230.27
2.	अग्रिमों को समायोजित न करना	8	0.61	24	26.81	32	27.42
3.	संस्वीकृतियों के लिए अधिक/ अप्राधिकृत/ अनियमित व्यय	270	275.83	194	127.64	464	403.47
4.	व्यर्थ/ निरर्थक/ निष्फल व्यय	50	41.73	65	45.42	115	87.15
5.	निधियों का अपवर्तन	126	74.36	26	8.73	152	83.09
6.	अधिक भुगतान/ किराया की वसूली न होना/ विविध वसूलियां	115	1.46	322	51.90	437	53.36
7.	वास्तविक प्राप्तकर्ताओं की प्राप्तियों का प्रस्तुत न किया जाना	9	2.37	5	1.65	14	4.02
8.	बकाया ऋण	7	4.95	3	0.06	10	5.01
9.	वाहनों सहित खराब मशीनरी/ उपकरण	4	0.18	8	0.34	12	0.52
10.	भण्डारों/ नकदी आदि का गैर-लेखांकन/ कमी	15	9.25	24	1.85	39	11.10
11.	व्यय की प्रतिपूर्ति न होना	2	0.52	0	0.00	2	0.52
12.	भण्डारों/ नकदी/ निधियों का दुर्विनियोजन	28	8.64	16	2.42	44	11.06
13.	अपूर्ण/ छोड़े गए कार्य	46	172.62	21	13.73	67	186.35
14.	हानि/ चोरी/ गबन/ धोखाधड़ी, परिहार्य व्यय, आदि	22	3.26	143	82.16	165	85.42
15.	उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत न किया जाना	32	300.13	7	7.60	39	307.73
16.	भण्डारों की सेवा में न आने वाली मदों का निपटान न किया जाना	4	0.06	15	0.59	19	0.65
17.	कोषागारों/ बैंकों के साथ मिलान न होना	28	17.34	19	4.64	47	21.98
18.	सहायता अनुदान का उपयोग न किया जाना	5	16.97	25	106.36	30	123.33
19.	जमा न किया गया/ ब्याज की वापसी/ कोषागारों में अव्ययित राशि/ संस्वीकृति प्राधिकारी	40	117.75	11	1.64	51	119.39
20.	विविध अनियमितताएं	77	67.40	267	279.70	344	347.10
<b>योग</b>		<b>1,038</b>	<b>1,258.85</b>	<b>1,311</b>	<b>850.09</b>	<b>2,349</b>	<b>2,108.94</b>

## परिशिष्ट-2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.1; पृष्ठ 27 )

## परियोजनाओं की प्रारम्भिक क्षमता दर्शाने वाली विवरणी

क्रमांक	परियोजना या कार्यकलाप	प्रारम्भिक सीमा सहित श्रेणी		
		क	ख	ख 2
1.	खनन एवं खनिज	≥ 50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	< 50 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र	≥ 5 हेक्टेयर खनन पट्टा क्षेत्र
2.	नदी घाटी परियोजना	≥ 50 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन ≥ 10,000 हेक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र	(i) < 50 मेगावाट व ≥ 25 मेगावाट जलविद्युत उत्पादन (ii) < 10,000 हेक्टेयर कृष्य कमांद क्षेत्र	
3.	धातु कर्म उद्योग (लौह एवं अलौह)	क) प्राथमिक धातुकर्म उद्योग सभी परियोजनाएं ख) स्पांज लौह विनिर्माण ≥ 200 टी०पी०डी० ग) द्वितीयक धातुकर्म प्रसंस्करण उद्योग सभी टॉक्सिक व भारी धातु उत्पादक इकाइयां ≥ 20,000 टन/ वार्षिक	स्पांज विनिर्माण < 200 टी०पी०डी० द्वितीयक धातुकर्म सम्बन्धी प्रसंस्करण उद्योग i) सभी टॉक्सिक व भारी धातु उत्पादन इकाइयां < 20,000 टन/ वार्षिक ii) सभी अन्य नॉन टॉक्सिक द्वितीयक धातुकर्म उत्पादक उद्योग > 5,000 टन/ वार्षिक	
4.	सीमेण्ट संयंत्र	≥ 1.0 मिलियन टन/ वार्षिक उत्पादन क्षमता	< 1.0 मिलियन टन/वार्षिक उत्पादन क्षमता सभी पृथक् पीसण इकाइयां	
5.	रसायन	सभी परियोजनाएं		
6.	मैनमैड फाइबर मैनुफैक्चरिंग	रेबन	अन्य	
7.	आसवनियां	(i) सभी शीरा आधारित आसवनियां (ii) सभी डिब्बा जूस/ गैर-शीरा आधारित आसवनियां ≥ 30 के०एल०डी०	सभी डिब्बा जूस/ गैर शीरा आधारित आसवनियां < 30 के०एल०डी०	
8.	औद्योगिक परिसम्पदाएं/ पार्क परिसर/ क्षेत्र निर्यात प्रक्रियान्वयन क्षेत्र, विशेष आर्थिक क्षेत्र, जैव प्रौद्योगिकी पार्क/ चमड़ा परिसर	प्रस्तावित औद्योगिक परिसम्पदा में कम से कम एक उद्योग क श्रेणी का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो लेकिन समस्त औद्योगिक क्षेत्र क श्रेणी समझा जाएगा, 500 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल तथा कम से कम एक ख श्रेणी उद्योग के आवास वाली औद्योगिक परिसम्पदा	औद्योगिक परिसम्पदा आवास कम से कम एक श्रेणी ख उद्योग तथा क्षेत्रफल 500 हेक्टेयर से कम क्षेत्र की औद्योगिक परिसम्पदाएं > 500 हेक्टेयर तथा आवास नहीं व उद्योग श्रेणी क या ख से सम्बद्ध हो।	
9.	सामान्य खतरनाक कूड़ा उपचार भण्डारण व निपटान सुविधाएं	भस्मीकरण व लैंडफिल या केवल भस्मीकरण वाली सभी एकीकृत सुविधाएं	केवल लैंडफिल वाली सभी सुविधाएं	
10.	सामान्य कचरा उपचार संयंत्र		सभी परियोजनाएं	
11.	भवन एवं निर्माण परियोजनाएं		≥ 20000 वर्ग मीटर व < 1,50,000 वर्ग मीटर निर्मित क्षेत्र	

**परिशिष्ट-2.2**

(संदर्भ: परिच्छेद 2.2.4; पृष्ठ 27 )

**अनुमति के उपरान्त अनुश्रवण हेतु चयनित परियोजनाओं को दर्शाने वाली विवरणी**

क्रमांक	परियोजना का नाम	परियोजना का स्थान	परियोजना की श्रेणी	पर्यावरण अनुमति की तिथि
1.	मानल लाइम स्टोन खनन परियोजना का विस्तार	ग्राम कण्डों नडी, सरांह व मानल जिला सिरमौर	क	25 जुलाई 2008
2.	बैटरी विनिर्माण संयंत्र का विस्तार	ग्राम रख राम सिंह, नालागढ़, जिला सोलन	क	23 दिसम्बर 2009
3.	अलौह धातु परिसर	ग्राम मोहटली निकट डमटाल, जिला कांगड़ा	क	27 अगस्त 2010
4.	“जी सिटी” ग्रुप हाऊसिंग	जूड़ी खुर्द (बढ़ी), जिला सोलन	क	04 जनवरी 2008
5.	ऑमैक्स ग्रुप हाऊसिंग	बिल्लांवली (बढ़ी), जिला सोलन	क	04 जून 2008
6.	सैंज जलविद्युत परियोजना	सैंज, जिला कुल्लू	क	04 मई 2009
7.	हिमाचल टेक्सटाइल पार्क लिमिटेड	अथमाह रोड़, वी0पी0ओ0 अम्ब, जिला ऊना	ख	20 सितम्बर 2010
8.	लुमिनस टेलीइन्फ्रा लिमिटेड	प्लॉट नं0 8, इण्डस्ट्रियल एरिया फेस-3, गगरेट, ऊना	ख	24 अप्रैल 2009
9.	सुक्रेम पॉवर सिस्टम लिमिटेड	प्लॉट नं0 7, अपेरल पार्क-कम-इण्डस्ट्रियल एरिया, काठा बढ़ी, सोलन	ख	14 दिसम्बर 2009
10.	इण्डोरमा इण्डस्ट्रीज लिमिटेड	ग्राम लोधो माजरा, जिला सोलन	ख	16 सितम्बर 2010
11.	वैली आयरन एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड	ग्राम रामपुर माजरी, डाकखाना धौलाकुआं, जिला सिरमौर	ख	25 मार्च 2010
12.	होम लैण्ड सिटी माल	अत साई-चक्का रोड, बढ़ी, जिला सोलन	ख	24 अप्रैल 2009
13.	अमरनाथ अग्रवाल कालोनाइजर्स (पी) लिमिटेड	अमरावती हिल सिटी सुबाथू रोड, सोलन	ख	02 अप्रैल 2009
14.	प्रिन्सटन इन्फ्रास्ट्रक्चर (पी) लिमिटेड	ग्राम कालथ, निकट डगशाई, जिला सोलन	ख	02 अप्रैल 2009
15.	के0डी0 ऐजुकेशन ट्रस्ट	ग्राम काठगढ़, कांगड़ा	ख	03 मार्च 2010
16.	बोकेशन ऐजुकेशनल फाउण्डेशन	हिमुडा ऐडीकेटम हब बढ़ी	ख	30 दिसम्बर 2011
17.	संजय चौहान स्टोन क्रशर	ग्राम व डाकखाना मनोह , जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश	ख	06 सितम्बर 2012
18.	हिमाचल सीमेण्ट उद्योग	प्लॉट नं0 12-13, राजा का बाग, जिला कांगड़ा	ख	23 अगस्त 2012
19.	तांगनू रोमई पावर जनरेशन (पी) लिमिटेड	गाम तांगनू, चिड़गांव, रोहड़ू, शिमला	ख	01 मई 2009
20.	फौना सिंह मीडियम इरीगेशन प्रोजेक्ट	सिंचाई एवं जन-स्वास्थ्य मण्डल, नूरपुर, जिला कांगड़ा	ख	20 अगस्त 2011

## परिशिष्ट-3.1

(संदर्भ परिच्छेद 3.4.2; पृष्ठ 90)

2011-16 के लिए पुलिस बलों के आधुनिकीकरण के अंतर्गत वार्षिक कार्य योजनाओं में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित और पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना में प्रस्तावित निधियों के विवरण दर्शाती विवरणी

(₹ करोड़ में)

घटक का नाम	पंचवर्षीय आधुनिकीकरण योजना 2011-16 के अनुसार प्रस्ताव	2011-16 हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं के अनुसार प्रस्ताव	2011-16 हेतु वार्षिक कार्य योजनाओं का अनुमोदन	अनुमोदित वार्षिक कार्य योजनाओं और आधुनिकीकरण योजना में भिन्नता
विचलता	16.03	7.73	7.92	(-) 8.11
अस्त्र-शस्त्र	6.48	2.86	2.86	(-) 3.62
सम्प्रेषण उपकरण	9.30	6.06	6.27	(-) 3.03
सुरक्षा उपकरण	7.88	7.39	7.39	(-) 0.49
प्रशिक्षण उपकरण	3.93	2.52	2.51	(-) 1.42
कार्यालय उपकरण	6.15	0.38	0.38	(-) 5.77
फोरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला उपकरण	12.01	3.06	3.18	(-) 8.83
आधुनिक यातायात नियंत्रण उपकरण	5.04	1.74	1.91	(-) 3.13
गृह रक्षक हेतु आयोजना	0	0.63	0.63	(+) 0.63
पुलिस थाने के लिए उपकरण	0	0.40	0.88	(+) 0.88
भवन/ पुलिस घर	3.84	23.77	27.60	(+) 23.76
मानव तस्करी विरोधी ईकाई	0	0.15	0.15	(+) 0.15
<b>सकल योग</b>	<b>70.66</b>	<b>56.69</b>	<b>61.68</b>	<b>(-) 8.98</b>

